विविध

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

अन्तिम **डिक्री**

संख्या 139/20	धारा अंतर्गत 53, 188 RTA	निर्णय दिनांक 24.6.22
समक्ष - श्री दिव्यांशु शर्मा आर. ए. एस. उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री ओम प्रकाश मेहता II		अभिभाषक प्रतिवादी

वाद शीर्षक

जानकीबाई पत्नी बाबूलाल जाति माली निवासी बड़ा तह० बारां जिला बारां

बनाम

1. ओंकारलाल पुत्र शंकरलाल (2) चतुर्भुज पुत्र शंकरलाल जाति माली नि. बड़ा
3. बद्रीलाल पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी बड़ा
4. छोटूलाल पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी बड़ा
5. ओंकारबाई पुत्री शंकरलाल पत्नी रामनारायण जाति माली नि. गोपालपुरा की मोयडिया बोरदा के पास मोतपुरा
6. रामकन्याबाई पुत्री शंकरलाल पत्नी चतुर्भुज जाति माली नि. नारेड़ा कॉलोनी के बाई के पास बारां
7. हजारीबाई पुत्री शंकरलाल पत्नी छोटूलाल जाति माली नि. सुकनी नदी के पास ईयना किला
8. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम बड़ा तह० बारां का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:—

नाम खातेदार		ख.नं.	रकबा	दिशा
1.	जानकीबाई पत्नी बाबूलाल कौम माली सा. डेह	126	2.08	पश्चिम
2.	ओंकारलाल पुत्र शंकरलाल हि. 5/77, ओंकारीबाई पुत्री शंकरलाल हि. 19/77, चतुर्भुज पुत्र शंकरलाल हि. 5/77, छोटूलाल पुत्र शंकरलाल हि. 5/77, बद्रीलाल पुत्र शंकरलाल हि. 5/77, रामकन्याबाई पुत्री शंकरलाल हि. 19/77, हजारीबाई पुत्री शंकरलाल हि. 19/77 कौम माली सा-डेह। रहन केनरा बैंक शाखा बारां हि. ओंकारलाल, हजारीबाई, रहन सिंडिकेट बैंक शाखा बारां हि. चतुर्भुज, छोटूलाल का।	126	2.31	पूर्व

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू० का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 24.6.22 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी बारां

हस्ताक्षर

उपखण्ड अधिकारी, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:51:04 IST
Reason: SelfAttested

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		

Scanned with CamScanner

निर्णय बइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–139 / 2020
दायरा दिनांक :– 04.11.2020
निर्णय दिनांक :–28.03.2022

उनवान

1. जानकीबाई आयु 58 वर्ष पत्नी बाबूलाल जाति माली निवासी बडा तहसील बारां जिला बारां

बनाम

1. ओंकारलाल पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी बडा
2. चतुर्भुज पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी बडा।
3. बद्रीलाल पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी बडा।
4. छोटूलाल पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी बडा।
5. ओंकारबाई पुत्री शंकरलाल पत्नी रामनारायण जाति माली निवासी गोपाल पुरा की झोपड़िया बोहत के पास तह0 मांगरोल
6. रामकन्याबाई पुत्री शंकरलाल पत्नी चतुर्भुज जाति माली निवासी नारेडा मालियों के मंदिर के पास तहसील बारां जिला बारां।
7. हजारीबाई पुत्री शंकरलाल पत्नी छोटूलाल जाति माली नि0 सुकनी नदी के पास ईटावा जिला कोटा।
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी ए एक्ट

निर्णय दिनांक :– 28.03.2022

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश मेहता – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट विरूद्व प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम बडा पटवार हल्का बडा तहसील बारां की आराजी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या नया 309 पुराना 305 की आराजी खसरा नं0 126 हिंगोटी रकबा 4.39 है0 माल प्रबम लगानी 57.07 रूप्ये स्थित है जिसे आगे वादपत्र में विवदित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। खातेदार मथुरीबाई पत्नी स्व0 शंकरलाल जाति माली निवासी बडा का देहान्त हो चुका है।जिसके वारिसान वादपत्र में पक्षकार है इनके अतिरिक्त मृतक मथुरीबाई का अन्य कोई वारिस एवं वैधानिककायम मुकामान नही है। वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी ... पर बाहमी बंटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार वादिया एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से की आराजियात पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:51:04 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

काबिज काश्त है किन्तु वादिया को अपने हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजियात भुसुधार करने या बैंक आदि से किसी भी प्रकार ऋण प्राप्त करने में काफी असुविधा होती है इसलिए वादिया अपना खाता संयुक्त रखने में असमर्थ है इसलिये अपना खाता पृथक कराकर पथक से राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने की अधिकारी एवं नालिशी है। वादिया द्वारा प्रतिवादीगण से बार बार अपने हिस्से अनुसार पृथक खाता करवाने के लिये तहसील बारां में चलने का निवेदन किया गया तो प्रतिवादीगण द्वारा आलमटूल की जाती है अंतिम रू॰ से दिनांक 15.10.2020 को स्पष्ट रू॰ से इंकार करने पर वादिया द्वारा तहसीलदार बारां से अपना खाता पृथक करने के लिये निवेदन किया गया तो तहसीलदार बारां द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह दी गई इस कारण वाद कारण अंतिम रू॰ से दिनांक 15.10.2020 को बमुकाम ग्राम बडा में प्रतिवादीगण के खाता पृथक करवाने से इंकार करने पर उत्पन्न हुआ है। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद इर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी गण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी वादीया द्वारा अपने पक्ष के समार्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बडा सम्वत्2073–76 खाता सं0 309 पेश की गई । साक्ष्य वादी में जानकीबाई का शपथ पत्र पेश हुआ।

बहस अभिभाषक वादिया एक तरफा सुनी गयी बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बडा तह0 बारां में स्थित है। विवाति आराजी वादिया एवं प्रतिवादी गण के संयुक्त खातेदारी कब्जे एवं हिस्से अनुसार पृथक पृथक विभाजन कराकर अलग खाता दर्ज करवाना चाहती है। जिससे वादिया को होने वाल समस्याओं से बच सके। वादिया का वाद डिक्री फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बडा सम्वत्2073–76 खाता सं0 309 के अनुसार विवादित आराजी ख0नं0 126 रकबा 4.39 है0 वादिया एवं प्रतिवादी गण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादिया अपने हिस्सा 19/40 को पृथक–पृथक विभाजन करा कर अलग खाता दर्ज कराना चाहती है। वादिया का वाद हिस्से एवं कब्जे अनुसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश::

उपरोक्त विवेचानुसार वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बडा तह0 बारां के ख0नं0 126 रकबा 4.39 है0 का वादी एवं प्रतिवादी गण के मध्य हिस्से एवं मौके पर कब्जे अनुसार पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। तदनुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:51:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

प्राथमिक डिक्री

वाद संख्या 139/2020	धारा अन्तर्गत **53,188 आर टी एक्ट,**	निर्णय दिनांक :– 28.03.2022
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– श्री ओम मेहता	अभिभाषक प्रतिवादी:–	

वाद शीर्षक

डनवान

1. जानकीबाई आयु 58 वर्ष पत्नी बाबूलाल जाति माली निवासी बडा तहसील बारां जिला बारां

बनाम

1. ओंकारलाल पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी बडा
2. चतुर्भुज पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी बडा।
3. बद्रीलाल पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी बडा।
4. छोटूलाल पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी बडा।
5. ओंकारबाई पुत्री शंकरलाल पत्नी रामनारायण जाति माली निवासी गोपाल पुरा की झोपडिया बोंहत के पास तह0 मांगरोल
6. रामकन्याबाई पुत्री शंकरलाल पत्नी चतुर्भुज जाति माली निवासी नारेडा मालियों के मंदिर के पास तहसील बारां जिला बारां।
7. हजारीबाई पुत्री शंकरलाल पत्नी छोटूलाल जाति माली नि0 सुकनी नदी के पास ईटावा जिला कोटा।
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बडा तह0 बारां के ख0नं0 126 रकबा 4.39 है0 का वादी एवं प्रतिवादी गण के मध्य हिस्से एवं मौके पर कब्जे अनुसार पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेष मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक. 28.03.2022 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला बारां

		व्ययानुतोष	
		वादी	प्रतिवादी
क्र.सं.	व्यय मद		
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:51:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner